



क्र./अका./2018/1357

भोपाल, दिनांक 08.08.2018

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के परिनियम (Regulation) क्र. 25 द्वारा च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) लागू किया गया है। तदनुसार पूर्व में जारी संशोधित अधिसूचना क्रमांक/अका./2017/1409 दिनांक 05-09-2017 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र जुलाई 2018 से निम्नलिखित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के ऐच्छिक (Open Elective) विषय भी पूर्व संशोधित अधिसूचना क्र. 1409 दिनांक 05-09-2017 में जोड़े (Add on) जा रहे हैं, इनका विवरण निम्नानुसार है :-

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम:-

1. Master of Digital Journalism - M.A.(DJ)

स्नातक पाठ्यक्रम:-

1. Bachelor of Commerce (Computer Applications) – B.Com. (CA)
2. Bachelor of Arts (Journalism and Creative Writing) – B.A. (JCW)

क्र.	पाठ्यक्रम	ऐच्छिक (Open Elective) विषय	संचालक विभाग का नाम
1	स्नातक (प्रत्येक विषय में 3 क्रेडिट)	Business Communication	प्रबंधन
		Entertainment , Art and Cultural Journalism	पत्रकारिता
2	स्नातकोत्तर (प्रत्येक विषय में 3 क्रेडिट)	Issue Based Writing	पत्रकारिता

समस्त विभाग/परिसर एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाएं जुलाई 2018 अकादमिक सत्र से उपरोक्त नवीन पाठ्यक्रमों के अनुसार अध्यापन सुनिश्चित करेंगे।

2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में CCC (Core Course Compulsory) एवं CCE (Core Course Elective) कोर्स (Course) रखे गये हैं, जो कि अनिवार्य होंगे। प्रश्नपत्रों को भविष्य में कोर्स (Course) के नाम से ही पहचाना जाएगा।
3. सभी CBCS स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के लिए अभियोग्यता संवर्धन (Ability Enhancement Course) अनिवार्य विषय के अंतर्गत Communicative English and Hindi (प्रत्येक में 3 क्रेडिट) कोर्स निर्धारित किया जाता है। समस्त विभाग, परिसर एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाएं इस अनिवार्य कोर्स का अध्यापन सुनिश्चित करेंगे।
4. उक्त पाठ्यक्रमों के लिए इसके अतिरिक्त प्रथम सेमेस्टर में निम्नानुसार ऐच्छिक (Open Elective) विषय निर्धारित किये जाते हैं। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम में इन ऐच्छिक विषयों में से किसी एक का चयन कर संबंधित विभाग, परिसर एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाएं में इसका अध्ययन करेंगे।

निरंतर अगले पृष्ठ पर.....(2)



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

(2)

5. विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी उपरोक्त में से केवल उन्हीं ऐच्छिक (Open Elective) विषय का चयन कर सकेंगे जिनके अध्यापन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर परिसर एवं संबद्ध अध्ययन संस्थान द्वारा की जा सकती है।

6. यह अधिसूचना शैक्षणिक सत्र जुलाई 2018 से प्रारंभ होने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के लिए लागू है। आगामी द्वितीय सेमेस्टर के लिए अधिसूचना पृथक से जारी की जायेगी।

CBCS पद्धति के नये पाठ्यक्रम संबंधित विभाग से अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcnujc.ac.in एवं www.mcu.ac.in के Download सेक्शन से डाउनलोड/प्राप्त किये जा सकते हैं।

संलग्न :- संशोधित अधिसूचना क्र. 1409 दिनांक 05-09-2017।

/
(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव

पृ.क्र./अका./2018/ 1358

भोपाल, दिनांक 08.08.2018

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिसचिव/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर प्रभारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. समस्त संचालक संबद्ध अध्ययन संस्थानों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक संबद्ध अध्ययन संस्थान को सूचनार्थ एवं संबंधित सं.अ. संस्थानों के पालनार्थ प्रेषित।
5. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
7. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
8. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव